स्थाई आदेश संख्या:- 32/1-2001

पुलिस रेडियो मुख्यालय पर कार्यरत राज्य रेडियो अधिकारियों को फील्ड में पुलिस जोन के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में पारित समसंख्यक आदेश दिनांक 12-9-2001 के क्रम एवं जनपदों में नियुक्त सहायक रेडियो अधिकारियों/अपर राज्य रेडियो अधिकारियों के अन्तर्गत आने वाले जिलों एवं इकाइयों से पत्राचार एवं कार्य निपटारे के सम्बन्ध में निम्नवत आदेश निर्गत किये जाते हैं -

1- पुलिस रेडियो शाखा में फील्ड व रेडियो मुख्यालय में नियुक्त स्टाफ के अवकाश प्रकरणों का निम्नानुसार निस्तारण किया जायेगा:-

आकस्मिक अवकाश	क्र0	अधिकारी/कर्मचारी	स्वीकर्ता अधिकारी
	1	रेडियो अनुरक्षण अधिकारी स्तर तक सभी आकस्मिक अवकाश	सम्बन्धित सहायक रेडियो अधिकारी
	2	रेडियो निरीक्षक को छः दिवस का आकस्मिक अवकाश (आज्ञा अवकाश को सम्मिलित करते हुए)	सम्बन्धित सहायक रेडियो अधिकारी
	3	रेडियो निरीक्षक को छः दिवस से अधिक आकस्मिक अवकाश	सम्बन्धित अपर राज्य रेडियो अधिकारी/सम्बन्धित राज्य रेडियो अधिकारी
	4	सहायक रेडियो अधिकारी एवं उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी	पूर्ववत, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक(दूर संचार)
उपार्जित/चिकित्सा अवकाश	1	प्रधान परिचालक स्तर तक	सम्बन्धित राज्य रेडियो अधिकारी
	2	रेडियो केन्द्र अधिकारी /रेडियो अनुरक्षण अधिकारी स्तर तक	पुलिस उपमहानिरीक्षक(मुख्या0)/उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)पूर्वी/पश्चिमी जोन
	3	रेडियो निरीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक(दूर संचार)

उपार्जित अवकाश / चिकित्सा अवकाश आदि प्रकरणों में स्वीकृति आदेशों में हस्ताक्षर करते समय स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा साथ में ही चरित्र पंजी में अवकाश स्वीकृति का इन्द्राज किया जायेगा ।

2- पर्यवेक्षणाधीन जोन के जनपदों/इकाइयों व रेडियो मुख्यालय में कार्यरत स्टाफ के स्थानान्तरण आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुतियां जोनल उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) व पुलिस उपमहानिरीक्षक(मुख्यालय) के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक (दूर संचार) को भेजी जायेगी तथा अनुमोदनोपरान्त ही उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूर संचार) पूर्वी/पश्चिमी जोन व पुलिस उपमहानिरीक्षक(मुख्यालय) स्तर से स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये जायेगें । एक जोन से दूसरे जोन तथा रेडियो मुख्यालय से फील्ड में व फील्ड से रेडियो मुख्यालय में स्थानान्तरण

का आदेश रेडियो मुख्यालय स्तर से ही जारी किया जायेगा । प्रत्येक स्थानान्तरण आदेश की प्रति प्रस्तुतकार, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक (दूरसंचार) को अवश्य पृष्ठांकित की जायेगी ताकि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों को अद्यतन रखा जा सके ।

3- जनपदों/इकाइयों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं संचार प्रबन्धों में आवश्यक सुधार हेतु पर्यवेक्षणाधीन जनपदों/इकाइयों का समय समय पर आकस्मिक/औचक/मानसून/वार्षिक निरीक्षण किया जायेगा । निरीक्षण आख्या सर्वसम्बन्धित को भेजी जायेगी तथा अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या से अवगत कराया जायेगा ।

4- प्रत्येक राज्य रेडियो अधिकारी द्वारा उन्हे सौंपे गये जोन में कार्यरत अधीनस्थ रेडियो स्टाफ का वार्षिक गोपनीय मंतव्य विभागीय नीति निर्देशों एवं शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुरुप अंकित किया जायेगा ।

5- प्रत्येक राज्य रेडियो अधिकारी द्वारा जोन के जनपदों/इकाइयों में कार्यरत स्टाफ पर उचित नियंत्रण/अनुशासन स्थापित किया जायेगा । स्टाफ के विरुद्ध दण्डात्मक/ अनुशासनिक कार्यवाहियों में प्रक्रिया उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 तथा उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली - 1991 के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी जिसकी सूचना पाक्षिक रुप से जोनल उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) तथा पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) को प्रेषित की जायेगी ।

6- जोन में कार्यरत रेडियो स्टाफ के सेवा सम्बन्धी एवं स्थापना विषयक मामले जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि, सलेक्शन ग्रेड, सुपर सलेक्शन ग्रेड, पदोन्नति आदि मामले पूर्व की भाँति मुख्यालय स्तर से ही निस्तारित किये जायेंगे।

7- प्रत्येक राज्य रेडियो अधिकारी उन्हे सौंपे गये जोन में समय समय पर पड़ने वाले त्योहारों, मेला, वी०आई०पी० ड्यूटी, वी०वी०आई०पी० ड्यूटी एवं कानून-व्यवस्था सम्बन्धी अन्य ड्यूटियों के सम्बन्ध में सेटों/उपकरणों का प्रबन्ध यथासम्भव जोन रिजर्व सेट व जोन के जनपदों/इकाइयों में उपलब्ध संसाधनों से किया जायेगा तथा ड्यूटी सुचारु रुप से संपादित करायी जायेगी । विशिष्ट एवं विशेष परिस्थितियों में सेट/उपकरण माँग तथा स्टाफ की आवश्यकता आदि के सम्बन्ध में जोनल उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के माध्यम से औचित्यपूर्ण माँग रेडियो मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जायेगी ।

8- जोन सम्बन्धी मामलों के विषय में रेडियो मुख्यालय की किसी शाखा/कार्यालय से अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रकरण पूर्ण एवं स्पष्ट स्थिति सहित पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) को सन्दर्भित किया जायेगा । पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय द्वारा सन्दर्भित प्रकरण पर आवश्यकतानुसार अपने स्तर से अथवा पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक(दूरसंचार) के अनुमोदन/अनुमति के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

9- प्रत्येक राज्य रेडियो अधिकारी अपने पर्यवेक्षणाधीन जोन के जनपदों में कार्यरत अपर राज्य रेडियो अधिकारियों/सहायक रेडियो अधिकरियों से राजकीय कार्य संपादन हेतु सीधे पत्राचार करेंगे । आवश्यकतानुसार जोनल उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से सलाह मशविरा निर्देश प्राप्त करेंगे ।

10- विशिष्ट मामलों मे जहाँ जनपदीय सहायक रेडियो अधिकारी को किसी मामले को सीधे राज्य रेडियो अधिकारी को लिखने की आवश्यकता पड़ती है , को वे ऐसा करते हुए उसकी प्रति सम्बन्धित अपर राज्य रेडियो अधिकारी को देगें और जहाँ वे किसी पत्राचार को उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) जोन को सीधे भेजने की आवश्यकता महसूस करते हैं तो वे इस पत्राचार की प्रति राज्य रेडियो अधिकारी एवं अपर राज्य रेडियो अधिकारी को भेजेगें। पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक(दूरसंचार) से सीधे पत्राचार की दशा में प्रति अपर राज्य रेडियो अधिकारी, राज्य रेडियो अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) जोन को दी जायेगी।

11- फील्ड से प्राप्त पत्रों यथा शिकायती प्रार्थना पत्रों , अनुशासन के मामलों की स्थिति ज्ञात करने / प्राप्त होने पर सामान्य पत्राचार एवं प्रारम्भिक कार्यवाही सम्बन्धित राज्य रेडियो अधिकारी, उपमहानिरीक्षक, (पुलिस दूर संचार) पूर्वी/पश्चिमी जोन अपने कार्यालय की सामान्य पत्रावलियों से करेगें । यदि प्रारम्भिक कार्यवाही के उपरान्त नीतिगत एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही / निर्णय लिया जाना आवश्यक हो तो पत्रावली का सन्दर्भ रेडियो मुख्यालय की स्थापना / प्रशासनिक शाखा प्रभारी को सन्दर्भित किया जायेगा तथा तदुपरान्त कार्यालय अधीक्षक शाखा में पत्रावली खुलवाकर अनुश्रवण की कार्यवाही की जायेगी ।

12- स्टाफ के कल्याण के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक रेडियो अधिकारी एक स्थान पर या अलग-अलग स्थानों पर माह में एक बार स्टाफ सम्मेलन अवश्य करेगें तथा उसमें समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगें । यदि समस्या के निदान हेतु प्रकरण को रेडियो मुख्यालय सन्दर्भित करने की आवश्यकता होती है तो उसे तदनुसार उचित माध्यम से सन्दर्भित करेगें । अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों की सुख सुविधा का विशेष ध्यान सम्बन्धित अधिकारी द्वारा रखा जायेगा ।

13- कर्मचारियों के सेवा से सम्बन्धित मामले यथा प्रत्यावेदन, स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र/ प्रकरण आदि अन्य प्रार्थना पत्र उचित माध्यम से सम्बन्धित अधिकारी को भेजे जायेगें।

संख्याः- एसटी-03/2001
दिनांकः- अक्टूबर 27 , 2001

(डा0 कश्मीर सिंह)
पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक (दूरसंचार)
उ0प्र0 लखनऊ ।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) ।
2. उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) पूर्वी/पश्चिमी जोन ।
3. समस्त राज्य रेडियो अधिकारी ।
4. समस्त अपर राज्य रेडियो अधिकारी ।
5. समस्त सहायक रेडियो अधिकारी ।
6. कार्यालय प्रति ।

प्रतिलिपिः-अपर पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार), उ0प्र0 को कृपया सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।